माननीय मुख्य न्यायमूर्ती जसबीर सिंह, न्यायमूर्ती मुकल मुद्गल, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता के समक्ष

हरियाणा और अन्य राज्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

संदीप कुमार, प्रतिवादी

2009 का एलपीए नंबर 1367

26 मई, 2010

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226--- हरियाणा राज्य द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 1991 को जारी किए गए आदेश - कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत याचिकाकर्ता - न्यूनतम योग्यता मैट्रिक और आईटीआई प्रमाण पत्र / पॉलिटेक्निक वाले पदों के लिए उच्च स्तर प्रदान करते हैं - उच्च न्यायालय ने कंप्यूटर ऑपरेटरों को उच्च वेतनमान प्राप्त करने के लिए पात्र ठहराते हुए कहा कि जब कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए योग्यता निर्धारित की गई थी, राज्य में I.T.Is से कोई भी कंप्यूटर शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर रहा था, इसलिए, किसी भी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से 10 + 2 की उच्च योग्यता और एक वर्ष का डिप्लोमा निर्धारित किया गया था - उच्च न्यायालय ने कांस्टेबल ड्राइवरों और कांस्टेबल फायर फाइटर को उच्च वेतनमान की राहत से इनकार कर दिया - तकनीकी पदों के लिए संशोधित उच्च वेतनमान केवल उन मामलों में उपलब्ध हैं जहां अन्य न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखने के अलावा उम्मीदवारों को आईटी / पॉलिटेक्निक प्रमाण पत्र रखने की आवश्यकता होती है।

कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर के मामले में यह माना गया कि कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर को लाभ जो 'ईश्वर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' में याचिकाकर्ता थे, इस तथ्य पर ध्यान देकर दिया गया था कि समान रूप से स्थित कर्मचारियों को राज्य ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत उच्च वेतनमान दिया था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम हो गया था। यह भी देखा गया कि जब कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई थीं, तो हरियाणा राज्य में कोई भी आई T.ls कंप्यूटर शिक्षा में प्रशिक्षण नहीं दे रहा था, इस तथ्य के कारण, इस पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त/प्रतिष्ठित कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से 10 + 2 की उच्च योग्यता और एक वर्ष का डिप्लोमा निर्धारित किया गया था। 'मैंने पूर्वोक्त कहा निर्णय उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित था और सामान्य नियमों के लिए एक अपवाद बनाया गया था कि उच्च वेतनमान केवल उन तकनीकी पदों के लिए उपलब्ध होंगे जिनके लिए सेवा में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम योग्यता आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिकलेशन के रूप में निर्धारित की गई थी।

(पैरा-11)

इसके अलावा, 26 जुलाई, 1991 के निर्देशों के अनुसार तकनीकी पदों के लिए संशोधित वेतनमान केवल उन मामलों में उपलब्ध होंगे जहां अन्य न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखने के अलावा, उम्मीदवारों को कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर के मामले को छोड़कर I.T.IT/Polytechnic प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

(पैरा-15)

अनिल राठी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

नमित कुमार, प्रतिवादी के वकील।

माननीय मुख्य न्यायमूर्ती जसबीर सिंह

1. इस अपील में प्रतिवादी कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने 19 जून, 2002 को सेवा में अपनी नियुक्ति की तारीख से 4000-6000 रुपये के उच्च वेतनमान का दावा करने के लिए 2008 का सीडब्ल्यूपी नंबर 19947 दायर किया। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 अगस्त, 2009 के आदेश द्वारा उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
2. याचिकाकर्ता को राहत देने के लिए, ईश्वर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और 25 मार्च, 2008 को दिए गए एक अन्य (2006 के सीडब्ल्यूपी नंबर 15347) मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर प्राथमिक भरोसा किया गया था। इसके विपरीत, प्रतिवादी के दावे को अपीलकर्ता-राज्य द्वारा 9 जुलाई, 2008 को ललित कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2007 का सीडब्ल्यूपी संख्या 8745) में इस न्यायालय के खंडपीठ के फैसले पर भरोसा करके खारिज कर दिया गया था, जिसे अदालत का समर्थन नहीं मिला।
3. अपीलकर्ता-राज्य ने प्रतिवादी के पक्ष में पारित आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की है। जब इस मामले को 9 दिसम्बर, 2009 को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सुनवाई के लिए लिया गया तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :—

    1. . सुना है. स्वीकार किया.
    2. अपीलकर्ता विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित हैं, जो ईश्वर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और 2006 के अनुबंध पी -15 के एक अन्य सीडब्ल्यूपी संख्या 15347 में इस न्यायालय के 25 मार्च, 2008 के पूर्व खंडपीठ के फैसले पर आधारित है। प्रतिवादी को कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके वेतनमान 10,000/- रुपये थे। *3050—85—4325-EB—100—5325.*हालांकि, उन्होंने सरकारी निर्देशों के आधार पर 4000 6000 रुपये के उच्च — वेतनमान के लिए दावा किया, जिसमें मैट्रिक के बाद आईटीआई डिप्लोमा सहित विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार के तकनीकी पदों के वेतनमान में संशोधन का प्रावधान है।

3. राज्य की ओर से दावे का विरोध करते हुए कहा गया कि आईटीआई डिप्लोमा के अभाव में, तकनीकी पदों का संशोधित उच्च वेतनमान उस प्रतिवादी को नहीं दिया जा सकता, जिसे कम वेतनमान पर नियुक्त किया गया था।

4. एकल न्यायाधीश ने अनुबंध पी-15 के फैसले का पालन करते हुए दावे की अनुमति दे दी।

5. राज्य के वकील बताते हैं कि भले ही फैसले में, अनुबंध पी -15 में दावा स्वीकार्य माना गया था, यहां तक कि आईटीआई योग्यता नहीं रखने वाले व्यक्ति के लिए भी, उक्त दावे को फैसले में स्वीकार्य नहीं माना गया था, ललित कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य .सीडब्ल्यूपी संख्या 8745 में 9 जुलाई 2008 को फैसला सुनाया गया था।

6. प्रतिवादी/कैविएटर के वकील ने प्रस्तुत किया कि ईश्वर सिंह (सुप्रा) के फैसले में कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले की तरह कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर था, जबकि ललित कुमार (सुप्रा) के फैसले में, इसमें शामिल पद गैर-तकनीकी थे।

7. प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि दो निर्णयों में विरोधाभास है। पूर्व के दो निर्णयों के साथ-साथ वर्तमान अपील में उठाया गया सामान्य मुद्दा आईटीआई/पॉलिटेक्निक अर्हता के अभाव में 26 जुलाई, 1991 के अनुदेशों की प्रयोज्यता, अनुलग्नक पी-3 है, जो उच्चतर दावे के स्वीकार्य होने के लिए है। यह उचित होगा कि मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाए।

8. तदनुसार, दस्तावेजों को उपयुक्त पीठ के गठन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

9. आगे की सुनवाई लंबित रहने तक इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।

इस प्रकार इस पूर्ण पीठ का गठन किया गया है।

4. आगे बढ़ने से पहले, हमारे लिए कुछ तकनीकी पदों के लिए योग्यता को नोट करना आवश्यक है, जो इस मुकदमे के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं।

1. ड्राफ्ट्समैन: किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्ट्समैनशिप में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या आईटीएल से औद्योगिक ड्राइंग में प्रमाणपत्र डिप्लोमा के साथ मैट्रिकुलेशन
2. मोटर मैकेनिक: न्यूनतम एक वर्ष के कार्य अनुभव के साथ आईटी से मोटर मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा प्रमाणपत्र के साथ मैट्रिकुलेशन।
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर: किसी भी मान्यता प्राप्त या प्रतिष्ठित कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से एक वर्ष के डिप्लोमा के साथ 10+ 2। स्नातकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
4. कांस्टेबल चालक: स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन। हालांकि, एससी/एसटी वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा पास होगी।

अनुभव: उम्मीदवार के पास भारी मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से कम से कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिए।

5. कांस्टेबल फायर फाइटर्स: मैट्रिकुलेशन के साथ-साथ सरकारी/स्थानीय निकाय या अर्ध सरकारी संगठन से अग्निशमन में दो साल का अनुभव या कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए अग्निशमन पर कोई कोर्स किया हो।

5. जैसा कि वर्तमान मामले में, लेश्वर सिंगली (सुप्रा) के मामले में, याचिकाकर्ता एक कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था, जबकि ललित कुमार (सुप्रा) के मामले में, याचिकाकर्ता कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल फायर फाइटर्स के रूप में काम कर रहे थे।

6. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि हरियाणा राज्य ने 26 जुलाई, 1991 (पी 3) को हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों में तकनीकी पदों के लिए उच्च वेतनमान प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए थे। इस संबंध में प्रासंगिक प्रविष्टि 40 इस प्रकार है: :—

क्रमांक:	पद का नाम	वर्तमान वेतनमान 1-5-1985	संशोधित वेतनमान 1-5-1990
40	विभिन्न विभागों में तकनीकी पदों के संबंध में सामान्य सिफारिशें जिनके लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आईटीआई प्रमाण पत्र / पॉलिटेक्निक के साथ मैट्रिक है	750—940 775—1025 800—1150 *950—1400* 950—1500	*1200—4000*

7. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उपरोक्त वेतनमान को आगे संशोधित कर 4000-6000 रुपये कर दिया गया है।

8. दिनांक 26 जुलाई, 1991 के अनुदेश प्रारंभ में हरियाणा राज्य द्वारा पुलिस विभाग के अलावा अपने विभागों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू किए गए थे। कुछ कांस्टेबलों कंप्यूटर ऑपरेटरों ने 1999 का सीडब्ल्यूपी नंबर 15535 दायर किया, जिसमें उच्च वेतनमान की राहत का दावा किया गया। इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 12 सितम्बर, 2002 (पृष्ठ 5) के निर्णय के तहत कहा कि ऊपर उल्लिखित अनुदेश सामान्य प्रकृति के हैं और पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। यह भी कहा गया कि कंप्यूटर ऑपरेटर 1200-2040 रुपये के उच्च वेतनमान प्राप्त करने के लिए पात्र थे। स्वीकृत तथ्य के अनुसार, हरियाणा राज्य ने उस आदेश के खिलाफ 2003 की एसएलपी संख्या 6402 दायर की, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 फरवरी, 2005 को निम्नलिखित आदेश पारित करके निपटा दिया था:

"हमें उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

फिर भी; हम स्पष्ट करते हैं कि उत्तरदाताओं को दिए गए वेतनमान का लाभ उनकी तकनीकी योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की तारीखों से प्रभावी होगा, यदि यह अधिसूचना की तारीख 23 अगस्त, 1990 के बाद है।

9. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलकर्ता-हरियाणा राज्य ने ऊपर उल्लिखित आदेश को लागू किया था और न केवल 1999 के सीडब्ल्यूपी नंबर 15535 में याचिकाकर्ताओं को बल्कि कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करने वाले कई अन्य व्यक्तियों को भी लाभ दिया था।

10. लेश्वर सिंह (सुप्रा) के मामले में, याचिकाकर्ता कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में भी काम कर रहे थे और किसी मान्यता प्राप्त / प्रतिष्ठित कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से एक वर्ष के डिप्लोमा के साथ 10 + 2 की योग्यता रखते थे। तकनीकी पदों में प्रवेश के लिए निर्धारित अलग-अलग योग्यताओं और उच्च वेतनमान प्राप्त करने के लिए उनकी पात्रता पर ध्यान देते हुए, ईश्वर सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार राय व्यक्त की: –

"हमारी राय है कि आदेश; अनुलग्नक पी 12 बिना किसी विचार के पारित किया गया है। इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने पैरा 12 (iii) में विशेष रूप से कहा है कि वर्ष 1993 में, हरियाणा राज्य में शायद ही कोई आईटीआई था जो कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कर रहा था। आगे यह कहा गया है कि संबंधित वर्ष में; छात्रों को मान्यता प्राप्त कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों से कंप्यूटर प्रशिक्षण में डिप्लोमा मिल रहा था। पैरा (v) में यह भी कहा गया है कि अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर जो 1999 की सिविल रिट याचिका संख्या 15535 (अनुलग्नक पी 7) में याचिकाकर्ता थे, उन्होंने भी निजी संस्थानों से अपना डिप्लोमा प्राप्त किया है। उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा संशोधित इस न्यायालय के आदेश के तहत प्रदान किया गया था और उस लाभ को उनसे वापस नहीं लिया गया है। रिट याचिका के पैरा 2, 3 और 5 में उल्लिखित तथ्यों के उत्तर में, बहुत अस्पष्ट कथन किए गए हैं। हमारे समक्ष भी, विद्वान वकील यह कहने के लिए कोई दस्तावेज दिखाने में विफल रहे हैं कि वर्ष 1993-1994 में जब याचिकाकर्ताओं का चयन किया गया था, तो कोई भी सरकारी आईटीआई कंप्यूटर प्रशिक्षण में डिप्लोमा प्रदान कर रहा था। यदि ऐसा है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं ने एक निजी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त किया है, उनसे उच्च वेतनमान का लाभ वापस नहीं लिया जा सकता है। तथ्य यह है कि सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कम्प्यूटर प्रशिक्षण में डिप्लोमा प्रदान नहीं कर रहे हैं, यह दस्तावेज अनुलग्नक पीआई से ही स्पष्ट हो जाता है जिसमें ड्राफ्ट्समैन और मोटर मैकेनिक्स के संबंध में यह कहा गया है कि उम्मीदवारों के पास आईटीआई में डिप्लोमा होना चाहिए। इस या कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ यह विशेष रूप से कहा गया था कि जिन शर्तों ने एएनवी मान्यता प्राप्त या प्रतिष्ठित संस्थान से कंप्यूटर प्रशिक्षण में डिप्लोमा प्राप्त किया है, वे पद के लिए पात्र थे। यदि ऐसा है, तो याचिकाकर्ताओं से उच्च वेतनमान इस आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता है कि उन्होंने निजी संस्थानों से अपना डिप्लोमा प्राप्त किया है.। इतना ही नहीं, एक बार जब रिजेंडेंट्स ने अन्य कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटरों को उच्च वेतनमान प्रदान कर दिया है, जो 1999 की सिविल रिट याचिका संख्या 15535 (अनुबंध पी 7) में याचिकाकर्ता थे और उनमें से अधिकांश ने निजी संस्थानों से डिप्लोमा भी प्राप्त किया है, तो

उत्तरदाताओं के लिए याचिकाकर्ताओं से उच्च वेतनमान वापस लेना खुला नहीं है। अन्यथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध पारित किए गए चुनौती के अधीन आदेश को भी निरस्त किया जाना चाहिए। यह भी हमारे ध्यान में लाया गया है कि 216 की सिविल रिट याचिका संख्या 71 76 में, याचिकाकर्ता नंबर 1 और 4 जो समान रूप से उच्च वेतनमान में स्थित हैं, उन्हें प्रदान किया गया था। उस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों द्वारा। उस घटना में यह बहुत आश्चर्यजनक है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं से लाभ कैसे वापस लिया जा सकता है। "(जोर दिया गया)।

11. अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि ईश्वर सिंह के मामले (सुप्रा) में याचिकाकर्ता कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर को लाभ इस तथ्य पर ध्यान देकर दिया गया था कि समान रूप से स्थित कर्मचारियों को राज्य ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत उच्च वेतनमान प्रदान किया था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम हो गया था। यह भी देखा गया कि जब कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई थीं, तो हरियाणा राज्य में कोई भी आई.टी.आई. कंप्यूटर शिक्षा में प्रशिक्षण नहीं दे रहा था, इस तथ्य के कारण, इस पद के लिए, किसी भी मान्यता प्राप्त/प्रतिष्ठित कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से 10 + 2 की उच्च योग्यता और एक वर्ष का डिप्लोमा निर्धारित किया गया था। उपरोक्त निर्णय उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित था और सामान्य नियमों में एक अपवाद बनाया गया था कि उच्च वेतनमान केवल उन तकनीकी पदों के लिए उपलब्ध होंगे जो सेवा में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए एलटीआई / पॉलिटेक्निक प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक के रूप में निर्धारित किए गए थे।

12. ललित कुमार के मामले (सुप्रा) के विपरीत, याचिकाकर्ता कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल फायर फाइटर के पदों के खिलाफ काम कर रहे थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उन पदों के लिए सेवा में प्रवेश के लिए, आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक प्रमाण पत्र रखने की आवश्यकता नहीं थी। ललित कुमार के मामले (सुप्रा) में उपर्युक्त तथ्य पर ध्यान देते हुए, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की:—

बेशक, याचिकाकर्ताओं के पास इन सभी रिट याचिकाओं में आईटीआई की योग्यता नहीं है। ऊपर उल्लिखित निर्देशों से यह स्पष्ट है कि उच्च स्केल केवल उन पदों के लिए उपलब्ध था, जिनके लिए न्यूनतम योग्यता आईटीआई प्रमाण पत्र / पॉलिटेक्निक के साथ मैट्रिक थी। इसी तरह का मामला राम करण और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2007 का सीडब्ल्यूपी संख्या 10131) में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, जिस पर 13 मई, 2008 को निर्णय लिया गया था और ऊपर उल्लिखित निर्देशों पर विचार करने के बाद, यह इस प्रकार देखा गया था।—

"उपरोक्त राहत का दावा करने के लिए 26 जुलाई, 1991 के पत्र (पी 5) पर भरोसा करने के अलावा याचिकाकर्ता के वकील ने इस न्यायालय के फैसलों से समर्थन मांगा है जो अनुबंध पी -7 और पी -9 के रूप में रिकॉर्ड पर रखे गए हैं।

जहां तक 1 दिसंबर, 1993 के आदेश (पी-7) का संबंध है, यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें याचिकाकर्ताओं को आईटीआई के साथ मैट्रिक की योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था या नहीं। इसी तरह 17 सितंबर, 2002 (पी-9) के फैसले में भी ऐसा ही

था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को आईटीआई प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक की योग्यता रखने के आधार पर नियुक्त किया गया था।

जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को आईटीआई प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक की उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए सेवा में लिया गया था। जिस समय उन्होंने उत्तरदाताओं के साथ सेवा में प्रवेश किया, हेल्पर के पद के लिए अपेक्षित योग्यता केवल यह थी कि उम्मीदवार हिंदी भाषा पढ़ और लिख सकता था।

13. उपर्युक्त के अनुसार, उस मामले में याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि उच्च वेतनमान का दावा करने के लिए, उनका मामला 26 जुलाई, 1991 (पी 3) के निर्देशों के तहत कवर नहीं किया गया था।

14. ऊपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जहां तक ईश्वर सिंह के मामले (सुप्रा) और ललित कुमार के मामले (सुप्रा) में फैसलों का संबंध है, हमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता है।

15. इसलिए, दिनांक 26 जुलाई, 1991 (पी 3) के निर्देशों के अनुसार, तकनीकी पदों के लिए संशोधित उच्च वेतनमान केवल उन मामलों में उपलब्ध होंगे जहां अन्य न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखने के अलावा, उम्मीदवारों को पहले उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर के मामले को छोड़कर आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

16. नतीजतन हम उपरोक्त शब्दों में पूर्ण * बेंच के संदर्भ का उत्तर देते हैं। याचिकाकर्ता को आज से 8 सप्ताह के भीतर इस निर्णय के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। यह अपील खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।
17. इसलिए, दिनांक 26 जुलाई, 1991 (पी 3) के निर्देशों के अनुसार, तकनीकी पदों के लिए संशोधित उच्च वेतनमान केवल उन मामलों में उपलब्ध होंगे जहां अन्य न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखने के अलावा, उम्मीदवारों को पहले उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर के मामले को छोड़कर आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।